भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2872
दिनांक 12 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

उत्तराखंड में महिला सुरक्षा अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण

2872. **डा. कल्पना सैनी:**

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तराखंड में निर्भया कोष के अंतर्गत महिला सुरक्षा से संबंधित किसी नई अवसंरचना परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है;
(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं, संस्वीकृत धनराशि और उनकी वर्तमान प्रगति का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) राज्य के पर्यटन क्षेत्रों, तीर्थस्थलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु कोई विशेष परियोजनाएं प्रस्तावित हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): देश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी रूपरेखा और दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा संचालित विशिष्ट अव्यपगत कोष के रूप में निर्भया कोष की स्थापना की गई है। देश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने के लिए 'निर्भया कोष' के तहत सरकार द्वारा कई योजनाएं/परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में उत्तराखंड के 7 जिलों अर्थात् पौड़ी गढ़वाल, चंपावत, हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी में कामकाजी महिला आवास का निर्माण' नामक परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। परियोजना के लिए कुल स्वीकृत

राशि 25.54 करोड़ रुपये है और केंद्रीय हिस्से में से 11.49 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

(ग): राज्य के पर्यटन क्षेत्रों, तीर्थ स्थलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, परियोजनाओं की संकल्पना, आयोजना तैयार की जाती है और अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) के समक्ष मूल्यांकन एवं अनुशंसा के लिए प्रस्तुत की जाती है। तत्पश्चात, प्रायोजक मंत्रालय का संबंधित सक्षम वित्तीय प्राधिकरण (सीएफए) अनुमोदन प्रदान करता है, जिसके पश्चात वित्त मंत्रालय द्वारा निर्भया कोष से प्रायोजक मंत्रालय/विभाग के बजट में निधियों का आवंटन किया जाता है। जिन परियोजनाओं/योजनाओं के लिए आवर्ती व्यय की आवश्यकता होती है, उनके लिए सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के प्रावधानों के अनुसार, कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) और व्यय विवरण (एसओई) प्राप्त होने पर निधियां जारी की जाती हैं। अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर कार्यान्वयन की स्थिति और अनुमोदित परियोजनाओं पर किए गए व्यय की समय-समय पर समीक्षा करती है। संबंधित प्रायोजक मंत्रालय/विभाग/राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र भी अपने-अपने स्तर पर कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करते हैं।
